

शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र: दिल्ली सरकार
9वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अखिलेश पति त्रिपाठी

दिनांक : 07.06.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 79

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|----------|--|--|
| क | मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के महेन्द्रू एंकलेव के विकास हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के महेन्द्रू एंकलेव के विकास की कोई कोई योजना नहीं है । अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास) महेन्द्रू एंकलेव परन्तु एक संभ्रांत कॉलोनी है । भारत के राजत्र दिनांक 24.03.2008 के खंड 3.6 के अनुसार सभी विनियम सार्वजनिक और निजी भूमि पर संभ्रांत वर्गों द्वारा बसाई गई बस्तियाँ/ अनाधिकृत कॉलोनी पर लागू नहीं होता है अतएवं वर्तमान में महेन्द्रू एंकलेव की सरकार के पास कोई योजना नहीं है । |
| ख | महेन्द्रू एंकलेव में विधायक निधि से क्या-क्या कार्य कराए जा सकते हैं; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में द्वारा महेन्द्रू एंकलेव में विधायक निधि से कोई कार्य नहीं किया गया है । इस संबंध में सूचना शहरी विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार से वांछित है । शहरी विकास (एम.एल.ए.लैड) विधायक निधि से कार्य, मौजूदा एम.एल.ए.लैड दिशा-निर्देशों के अनुसार कराये जा सकते हैं । |
| ग | क्या महेन्द्रू एंकलेव में बिल्डिंग निर्माण के लिए एमसीडी से नक्शा पास किया जाता है; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम महेन्द्रू एंकलेव एक अनाधिकृत कॉलोनी है तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस कॉलोनी का नक्शा पास नहीं किया गया है । |
| घ | यदि नहीं, तो वहां हो रहे अवैध निर्माण के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है, पूर्ण विवरण दें; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम महेन्द्रू एंकलेव क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जाती है । विगत तीन वर्षों में उपरोक्त क्षेत्र में अवैध निर्माण हेतु किसी भी कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई है । क्षेत्र में अवैध निर्माण पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियन्ता जिम्मेदार है । |
| ङ | महेन्द्रू एंकलेव में सड़कों की मरम्मत की सरकार की क्या योजना है; विस्तृत विवरण दें; और | अनाधिकृत कॉलोनी (शहरी विकास) उपरोक्त 'क' के अनुसार । |
| च | क्या सरकार उसके विकास के लिए विधायक निधि लगाने की अनुमति दे सकती है? | शहरी विकास (एम.एल.ए.लैड) विधायक निधि से कार्य, मौजूदा एम.एल.ए.लैड दिशा-निर्देशों के अनुसार कराये जा सकते हैं । |



From:
Dy. Secretary (U.D/P.C.)
Govt. of Delhi, Delhi Sectt.,
I.P. Estste, New Delhi